रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या- 781/2026/2357/22-2-2025-17(1154)/2025

लखनऊ: दिनांक: 18 जून, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त 2018 एवं सपठित संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28.07.2021 व शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी0/2018, दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-2(ड़) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, 2025 (16 नवम्बर, 2025) के अवसर पर केन्द्रीय कारागार वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अजीज (कैदी संख्या-448/2022) पुत्र मुनौवर, निवासी-ग्राम-बेगमपुर दा0 लालपुर बदला, थाना-मल्हीपुर, जिला-श्रावस्ती, जिसे सत्र परीक्षण संख्या-412/1998 में धारा-147,148,302 सपठित धारा 149 आई०पी०सी० के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०-2 बहराइच के आदेश दिनांक 23.09.2015 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। **(2)-**स्पेशल केस संख्या-18/2010 में चालानी थाना-मल्हीपुर, जिला-श्रावस्ती, धारा-3(1) यू०पी० गैंगस्टर एक्ट, सजा अवधि-02 वर्ष कारावास व अर्थदण्ड रू0-5,000/के ब्यतिक्रम में 01 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी उक्त वाद में मूल सजा भुगत चुका है व अर्थदण्ड की सजा शेष है। बन्दी द्वारा दिनांक 16.11.2025 तक अपरिहार 11 वर्ष, 08 माह, 24 दिन एवं सपरिहार 14 वर्ष, 05 माह, 18 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा जेल आचरण सन्तोषजनक है, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में विधि सम्मत आचरण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए रूपये 50000/-(रूपये पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपने सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक को प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-781/2026/2357(1)/22-2-2025 एवं तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती।
3- पुलिस अधीक्षक, श्रावस्ती।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार वाराणसी।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in